जिला ग्रामीण विकास शाखा, धनबाद।

(प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण)

–: नियुक्ति विज्ञापन–01/2025 :–

प्रधान सचिव ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के अधिसूचना सं0– 1016 (अनु0) ग्रा0वि0–10–PMA G-54/2016 दिनांक–01.03.2017 द्वारा स्वीकृत पदों के विरूद्ध संविदा के आधार पर नियुक्ति किया जाना है धनबाद जिला में प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण अन्तर्गत गठित पी0एम0यू0 के तहत स्वीकृत पदों के विरू प्रखण्ड समन्वयक एवं लेखापाल–सह–कम्प्यूटर ऑपरेटर (प्रखण्ड एवं जिला स्तर के) के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु इच्छुक नागरिकों/अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित की जाती है।

पदवार , कोटिवार रिक्तियाँ एवं अन्य विवरणी निम्न प्रकार हैः–

1. जिला स्तर

क्र0	पद का नाम	रिक्त कोटि	रिक्त संख्या	मासिक मानदेय राशि (रूपये में)
1.	प्रशिक्षण समन्वयक	अनारक्षित (UR)	01	35,000/–
2.	लेखापाल–सह–कम्प्यूटर ऑपरेटर	अनारक्षित (UR)	01	15,000/–

2. प्रखण्ड स्तर

क्र0	पद का नाम	रिक्त कोटि	रिक्त संख्या	मासिक मानदेय राशि (रूपये में)
1.	प्रखण्ड समन्वयक	अनारक्षित (UR) –02 पिछड़ा वर्ग (BC-II) –01	03	18,000/–
2.	लेखापाल–सह–कम्प्यूटर ऑपरेटर	अनारक्षित (UR)–04 अनु0जाति (SC)–01, अनु0जन जाति (ST)–01, पिछड़ा वर्ग (BC-II)–01	07	10,000/–

नोटः–रिक्त पदों की संख्या एवं आरक्षण कोटिवार वर्गीकरण में परिवर्तन/ घटोतरी–बढ़ोतरी किया जा सकता है।

3. **आरक्षण** :–आवेदन में नियत प्रविष्टि कॉलम में इंगित आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। आरक्षण का दावा करने पर यह माना जाएगा कि आवेदन भरने की अंतिम तिथि को अभ्यर्थी द्वारा दावा किये गये आरक्षण कोटि का सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र धारित किया जाता है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग (BC-I &BC-II) के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण रोस्टर धनबाद जिला के तत्समय प्रवृत आदेशों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा।
4. **जाति प्रमाण पत्रः**–झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग (BC-I & BC-II) के सन्दर्भ में जिला के उपायुक्त/अनुमण्डल पदाधिकारी के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र अथवा कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक 1754 दिनांक 25.02.2019 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 25.02.2019 को अथवा उसके पश्चात् अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा।

5. **स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र** :– आरक्षण का दावा करने वाले सभी वर्ग के अभ्यर्थियों को कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक 4650 दिनांक 02.06.2016 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में अनुमण्डल पदाधिकारी के स्तर से दिनांक 02.06.2016 तथा इसके पश्चात् निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य होगा अथवा कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक 5752 दिनांक 19.07.2019 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 19.07.2019 को अथवा उसके पश्चात् अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत स्थानीय निवास प्रमाण पत्र मान्य होगा। 19.07.2019 से पूर्व अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण –पत्र मान्य नहीं होगा। दिनांक 02.06.2016 के पूर्व किसी भी स्तर से निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण–पत्र मान्य नहीं होगा। आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि के पश्चात् निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण–पत्र मान्य नहीं होगा।

6. **शैक्षणिक योग्यता एवं उम्र सीमा :**

जिला स्तर पर निर्धारित पदो के लिए :–

क्रमांक	पद का नाम	उम्र सीमा	शैक्षणिक योग्यता
1.	प्रशिक्षण समन्वयक	22–45 वर्ष	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थानों से रूरल मैनेजमेंट/को–ऑपरेटिव मैनेजमेंट/सोशल वर्क में स्नातक उत्तीर्ण एवं तीन वर्ष का कार्यानुभव।
2.	लेखापाल–सह–कम्प्यूटर ऑपरेटर	18–30 वर्ष	मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय/संस्थानों से वाणिज्य (Commerce) विषय में इंटरमीडिएट उत्तीर्ण एवं Diploma in Computer Application (DCA) के साथ एक वर्ष का कार्यानुभव तथा हिन्दी एवं अंग्रेजी टंकण दक्षता अनिवार्य।

प्रखण्ड स्तर पर निर्धारित पदों के लिए :–

क्रमांक	पद का नाम	उम्र सीमा	शैक्षणिक योग्यता
1.	प्रखण्ड समन्वयक	22–45 वर्ष	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थानों से रूरल मैनेजमेंट/को–ऑपरेटिव मैनेजमेंट/सोशल वर्क में स्नातक उत्तीर्ण एवं एक वर्ष का कार्यानुभव। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण एवं एक वर्ष का कार्यानुभव। रूरल मैनेजमेंट/को–ऑपरेटिव मैनेजमेंट /सोशल वर्क में स्नातक उत्तीर्ण को प्राथमिकता दी जाएगी।
2.	लेखापाल–सह–कम्प्यूटर ऑपरेटर	18–30 वर्ष	मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय/संस्थानों से वाणिज्य (Commerce) विषय में इंटरमीडिएट उत्तीर्ण एवं Diploma in Computer Application (DCA) के साथ छः माह (06) का कार्यानुभव तथा हिन्दी एवं अंग्रेजी टंकण दक्षता अनिवार्य।

उम्र सीमा* :– 1. न्यूनतम उम्र सीमा की गणना **01.06.2025** के आधार पर की जाएगी।
2. **सभी शैक्षणिक योग्यताएँ राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान यथा (UGC/AICTE/DEB- Distance Education Bureau) का ही मान्य होगा।**

7. राष्ट्रीयता– आवेदक भारत का नागरिक हो।

8. मेधा सूची :–

1. सभी पदों के लिये खुला विज्ञापन के माध्यम से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाएँगे। प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या अत्यधिक होने की स्थिति में प्रारंभिक मेधा सूची तैयार की जाएगी। एक पद के विरूद्ध न्यूनतम अभ्यर्थियों की संख्या का निर्धारण चयन समिति द्वारा किया जाएगा। प्रारंभिक मेधा सूची अनिवार्य/वांछनीय शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव (जहाँ आवश्यक हो) के प्राप्तांक के आधार पर तैयार की जाएगी। अभ्यर्थियों की प्रारंभिक मेधा सूची चयन का अंतिम आधार नही माना जाएगा। तत्पश्चात् प्रारंभिक मेधा सूची में अभ्यर्थियों के संख्या के अनुसार प्रत्येक कोटिवार रिक्त पदों के दस (10) गुणा अभ्यर्थियों का चयन दक्षता परीक्षा/विषय ज्ञान/कम्प्यूटर ज्ञान परीक्षा (लिखित/बहुवैकल्पिक प्रश्न/टंकण ज्ञान) हेतु किया जाएगा।
2. सभी श्रेणी के पदों की रिक्तियों के विरूद्ध दस गुणा अभ्यर्थियों को दक्षता जाँच हेतु आमंत्रित किया जाएगा।
3. दक्षता जाँच में कम्प्यूटर ज्ञान हेतु टेस्ट देना अनिवार्य होगा।

9. मूल्यांकन/चयन प्रक्रिया–

1. आवेदक का मूल्यांकन 100 अंकों पर किया जाएगा। जो निम्न खण्डों में विभाजित होगा:–

अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता	वांछित अनुभव	दक्षता परीक्षा		कुल योग
		विषय ज्ञान	कम्प्यूटर ज्ञान	
50	20	10	20	100

2. कम्प्यूटर परीक्षा में उत्तीर्णता का स्तर 40 प्रतिशत रहेगा यानि 10 मे से 4 अंक लाना अनिवार्य होगा।
3. चयन की पात्रता हेतु कुल निर्धारित 100 अंकों में से सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों को न्यूनतम 50 अंक, अन0जाति/अनु0जनजाति को न्यूनतम 40 अंक तथा पिछड़ा वर्ग/अ0पि0वर्ग को न्यूनतम 45 अंक लाना अनिवार्य होगा। इससे कम अंक लाने पर नियुक्ति हेतु अयोग्य माने जाएँगे।
4. कम्प्यूटर ज्ञान हेतु चयन समिति कम्प्यूटर टंकण की परीक्षा ले सकती है।
5. अंतिम मेधा सूची में पदवार रिक्ति का दोगुणा नाम पैनल के रूप में रहेगा जो अधिकतम एक वर्ष के लिए वैध रहेगा। उपरोक्त पदों में एक साल के अंदर होने वाली रिक्ति इसी से भरे जाएँगे।

10. आवेदन समर्पित करने की प्रक्रिया:

1. इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार संबंधित जिला के लिए ऑनलाईन आवेदन http://applyrdd.jharkhand.gov.in पर दिनांक ...29/07/25... से ...14/08/2025... तक समर्पित कर सकेंगे। इस हेतु कोई आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा।
2. आवेदक एक से अधिक पदों के लिए योग्यतानुसार आवेदन समर्पित कर सकते हैं। इसके लिए प्रत्येक पद के लिए अलग–अलग ऑनलाईन आवेदन पत्र समर्पित करना होगा।
3. अभ्यर्थियों को उक्त विज्ञापन में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक उक्त वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा, अर्थात् शैक्षणिक योग्यता के निर्धारण के लिए ऑनलाईन आवेदन देने की अंतिम तिथि

को आधार तिथि माना जाएगा। यदि कोई अभ्यर्थी इस तिथि तक निर्धारित शैक्षणिक योग्यता नहीं धारित करता है तो वे आवेदन भरने के लिए अयोग्य समझे जाएँगे।

4. जिन अभ्यर्थियों का शैक्षणिक प्रमाण पत्र में ग्रेड अंकित हो तो उन अभ्यर्थी को अपने संबंधित विश्वविद्यालय/संस्थान से प्रतिशत में अंतरण कराकर प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
5. आवेदन पत्र के साथ मैट्रिक का प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा। आयु सीमा की गणना मैट्रिक के प्रमाण पत्र के आधार पर होगी।
6. उपरोक्त पदों पर आवेदन समर्पित करने वाले अभ्यर्थियों को संबंधित क्षेत्र में कार्यानुभव प्रमाण पत्र के साथ वेतन पर्ची (Salary Slip & Bank Statement) ऑनलाईन में अपलोड करना अनिवार्य होगा।

11. संविदा पर नियुक्त होने वाले कर्मियों की सेवाशर्त्त निम्नवत् होगी :–

1. प्रारंभिक चरण में संविदा के आधार पर ऐसी नियुक्ति तीन वर्ष के लिए की जाएगी। प्रत्येक वर्ष उनके कार्यों का समिति के द्वारा मूल्यांकन किया जाएगा एवं मूल्यांकन में प्रगति संतोषजनक नहीं पाए जाने पर सेवा से हटाने पर विचार किया जा सकता है। नवीकरण नहीं होने की स्थिति में ऐसी नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जाएगी। नियुक्ति के लिए गठित की गई चयन समिति ही इस प्रयोजनार्थ नवीकरण के लिए समिति मानी जाएगी।
2. यदि कोई कार्यरत पदाधिकारी/कर्मी ऐसी नियुक्ति से स्वतः मुक्त होना चाहेंगे जो उन्हें अपने नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से नियुक्ति पदाधिकारी को इसकी लिखित सूचना एक माह पूर्व देनी होगी या एक माह की परिलब्धि जमा करनी होगी। इसके विपरीत यदि नियुक्ति पदाधिकारी को ऐसे कार्यरत पदाधिकारी/कर्मी की सेवा की आवश्यकता नहीं हो तो वे उसे एक माह की लिखित सूचना या एक माह की परिलब्धि देकर कार्यरत पदाधिकारी/कर्मी की सेवा समाप्त कर सकेंगे, परन्तु कार्य असंतोषजनक पाए जाने पर ऐसे कार्यरत पदाधिकारी/कर्मी की सेवा नियुक्ति पदाधिकारी के द्वारा किसी भी वक्त समाप्त की जा सकेगी।
3. उपर्युक्त अवधि में संविदा के आधार पर नियुक्त कर्मी को किसी अन्य स्थान/संस्था इत्यादि में कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
4. संविदा अवधि के नवीकरण कर्मियों के क्षमताओं, निधि की उपलब्धता तथा योजना की अवधि को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा।
5. कार्य संतोषजनक पाये जाने पर मानदेय में 5 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दी जाएगी।
6. आवेदक का देय एकमुश्त वेतन के अन्तर्गत ही यात्रा, दूरभाष एवं इन्टरनेट की सुविध सम्मिलित होगी।
7. आवेदक को योगदान करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा व्यय का भुगतान नहीं किया जाएगा। कर्मी को मात्र सरकारी कार्यों से देश के अन्दर यात्रा करने हेतु राज्य के नियमों के अन्तर्गत यात्रा व्यय का भुगतान किया जाएगा।
8. राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सिर्फ आकस्मिक अवकाश ही संविदा कर्मियों को देय होगा।
9. नियुक्त कर्मियों को जिला द्वारा तैयार किये गये अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर करना होगा।
10. यह नियुक्ति संविदा के आधार पर की जाएगी। भविष्य में स्थायी सेवा का दावा मान्य नहीं होगा।
11. उक्त नियुक्ति विज्ञापन एवं नियुक्ति प्रक्रिया में यथा संशोधन या निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित होगा।
12. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में निर्णय लेने का अधिकार जिला स्तरीय चयन समिति का होगा और इसके विरूद्ध किसी भी न्यायालय में वाद दायर नहीं की जा सकेगी।

उपायुक्त,
धनबाद।

ज्ञापांकः– 942 दिनांकः– 19/07/2025

प्रतिलिपिः– अपर जिला दण्डाधिकारी, विधि व्यवस्था–सह–वैब मैनेजर, धनबाद को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि उक्त विज्ञापन को जिला के वेबसाईट dhanbad.nic.in पर शीघ्र अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपिः– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, धनबाद को निदेश दिया जाता है कि उक्त विज्ञापन को जिला के वेबसाईट dhanbad.nic.in पर शीघ्र अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपिः–सरकार के संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड राँची को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि विभागीय पोर्टल (http://applyrdd.jharkhand.gov.in) पर अभ्यार्थियों से ऑनलाईन आवेदन समर्पित करने हेतु Link उपलब्ध कराने की कृपा की जाए।

उपायुक्त,
धनबाद।